



आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर

CENTRAL GOODS & SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD NORTH

पहली मंजिल, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009

FIRST FLOOR, CUSTOM HOUSE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD - 380009

फोन/Phone : 079 - 27544599 ई-मेल/E-Mail : commr-cexamd2@nic.in फैक्स/Fax : 079-27544463

Date:13-07-2023

कोटेशन सूचना / Quotation Notice

आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर कस्टम हाउस भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद में स्थापित अग्निशामक यंत्रों को फिर से भरने के लिए विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद कोटेशन्स आमंत्रित करता है। कोटेशन की नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं :

The O/o of the Commissioner, CGST & CX. Ahmedabad North is inviting sealed quotations from the vendors/suppliers for refilling the fire extinguishers installed in Custom House Building, Navrangpura, Ahmedabad. The terms and conditions of the quotation are as under :-

1. कोटेशन "संयुक्त आयुक्त (कावस), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर, प्रथम तल, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद" के नाम भेजी जानी चाहिए।

The quotation should be addressed in the name of "THE JOINT COMMISSIONER (P&V), CGST & CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD NORTH, 1st FLOOR, CUSTOM HOUSE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD."

2. लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में "अग्निशामक यंत्रों को फिर से भरने के लिए कोटेशन" लिखा जाना चाहिए।

Envelop should be subscribed with words "Quotation for Refilling of Extinguishers".

3. कोटेशन दिनांक 24.07.2023 तक अथवा इससे पूर्व इस कार्यालय को प्राप्त हो जाने चाहिए। इस तिथि के बाद कोई कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

The quotations must reach to this office on or before 24.07.2023. After this date no such quotations shall be accepted.

4. उद्धृत दरों में सभी कर शामिल होने चाहिए और उन्हें अंकों और शब्दों दोनों में

दर्शाया जाना चाहिए ।

The quoted rates must be inclusive of all taxes and shall be indicated in both figures and words.

5. उद्धृत दरें एक माह की अवधि के लिए वैध होंगी।

The rates quoted shall be valid for a period of one month.

6. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता कार्यालय में आ सकते हैं और कार्यालय समय के दौरान उपकरणों का निरीक्षण कर सकते हैं और तदनुसार कोटेशन जमा कर सकते हैं।

The vendor/supplier may visit the office and inspect the devices during office hours and submit the quotation accordingly.

7. सभी वस्तुओं का मूल्य अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाये। कुछ मदों के लिए दिये गए कोटेशन सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

Price must be quoted for all the items compulsorily. Quotations for part of the items will be summarily rejected.

8. विभाग उच्चतम उद्धृत दरों या किसी भी कोटेशन को स्वीकार न करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

The department does not bind itself to accept the highest quoted rates or any quotation to assign any reason for non-acceptance of the same.

9. विभाग बिना कोई कारण बताए कोटेशन को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

The department reserves the right to reject/cancel the quotation without assigning any reason thereof.

Shrinath Shantilal Khandelwal
सहायक आयुक्त (कावस)
Assistant
Commissioner (P&V)

प्रति प्रेषित / Copy to:

1. अधीक्षक (प्रणाली), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर को आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

The Superintendent (System), CGST & CX. Ahmedabad North for uploading the same on Commissionerate website.

2. सूचना-पट्ट / Notice Board.